राजस्थान की जनजातियों का विवेचन

डॉ. सीताराम मीना
एसोसिएट प्रोफेसर–हिन्दी
स्व. राजेश पायलट राजकीय
स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय बॉदीकुई

मुख्य रेखांकित शब्दः– जनजाति, मीणा ,भील गरासिया, सहरिया, डामोर, रहन–सहन बोलचाल, संस्कृति।

प्रस्तावना–

जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व मे था जो अब भी राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है और इनके लिए प्रावधान लागू किये गये है। गिलिन ने अपनी रचना 'कल्चरल एंथ्रोयोलॉजी' में जनजाति को परिभाषित करते हुऐ लिखा है कि "स्थानीय जनजातिय समूहो का ऐसा समुदाय जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है तथा जिसकी सामान्य संस्कृति है।" आदिवासी दो शब्दों 'आदि' और 'वासी' से मिलकर बना है और इसका मूल अर्थ निवासी होता है। राजस्थान की अधिकांश आदिवासी जन–जातियां अरावली के दक्षिण भाग में घने जंगलों अथवा ऊँची पर्वत श्रृंखलाओं पर निवास करती है राल्फ लिंटन के अनुसार, "सरलतम रूप से जन–जाति एक ऐसी टोलियों का एक समूह है। जिसका एक सानिध्य वाले भूखण्डों पर अधिकार हो और जिनमे एकता की भावना, संस्कृति में गहन सामान्यतः निरन्तर सम्पर्क तथा कतिपय सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हो।"[1]

अनुसूचित जनजातियों को एच.एच.रिस्ले, एन.जी.लेखी, वारियर एलविन तथा ठक्कर बापा ने 'आदिवासी' ए.बेन्स ने 'पर्वतीय कबीले' क्रोबर ने 'आदिम जाति' के नाम से सम्बोधित किया है।

इन समुदायों की मुख्य विशषेताओं में– आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ठ संस्कृति, बाहरी समुदाय के साथ सम्पर्क करने में संकोच, आर्थिक रूप से पिछड़ापन प्रमुख है।

भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं करता है, इसलिए अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजतियों का संदर्भ उन समुदायों के रूप में करता है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ व आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग या इनके समूह है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को 'विश्व आदिवासी दिवस' मनाने की घोषणा की है।

राजस्थान की प्रमुख आदिवासी जनजातियाँ इस प्रकार हैः–

- मीणा जनजाति
- भील जनजाति
- गरासिया जनजाति
- सहरिया जनजाति
- डामोर जनजाति

मीणा जनजाति

मीणा मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में पाया जाने वाला एक समुदाय है। इस समुदाय का नाम 'मीन' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है संस्कृत भाषा में 'मछली'। ब्रिटिश शासन के समय, मीणा आदिवासी साम्राज्य के साथ अपना गठबंधन बनाये रखने के लिए यह कृत्य किया गया था। मीणा मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी भाग में रहते है, जिनमें सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर क्षेत्र की बयाना तहसील और शेखावाटी क्षेत्र में जयपुर–सीकर और राज्य के उत्तर–पूर्व क्षेत्र अलवर में भी रहते है।

मीना जनजाति की उत्पत्ति

मीणा मौखिक इतिहास में कई मिथकों और किंवदंतियों के माध्यम से अपनी उत्पत्ति की कहानी बताते है। पौराणिक कथानुसार मीना जनजाति की उत्पत्ति मत्स्य अवतार या भगवान विष्णु के दसवें अवतार से बताती है। राजस्थान में संख्यात्मक रूप से मीणा सबसे बड़ी जनजाति है। हिन्दू केलेंडर के अनुसार, मीणा समुदाय के लोग 'चैत्र शुक्ल पक्ष' में विष्णु के नाम पर मीनेश जयन्ती बनाते है। यह विश्वास मुख्यरूप से मत्स्य पुराण के ग्रन्थ पर आधारित है।

मीणा जनजाति का इतिहास

प्राचीन भारतीय ग्रन्थ ऋग्वेद में बताया गया है कि मीणाओं के राज्य को संस्कृत में 'मत्स्य' सामाज्य कहा जाता था। राजस्थान के मीणा जनजाति के लोग आज तक भगवान शिव , हनुमान और भगवान कृष्ण के साथ–साथ देवी की पूजा करते रहे है। मीणा जनजाति अन्य जनजातिय समुदायों के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध साझा करती है। मीणा लोग वैदिक संस्कृति के अनुयायी है।

राजस्थान के इतिहास में मीणाओं का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इससे पहले, राजपूत और मीणा प्रमुखों ने दिल्ली के राजाओं के अधीन रहते हुऐ देश के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। मीणा समुदाय को मुख्य रूप से चार बुनियादी क्षेत्रों में जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा, परिहार और भील मीणा में रखा गया था पूर्व में मिनस देश के विभिन्न सम्प्रदायों में बिखरे हुऐ थे और आस पास के क्षेत्र मे बदलाव के कारण उनके चरित्र अलग–अलग है

मीना जनजाति की संस्कृति

संयुक्त परिवारः–

मीणा जनजाति में संयुक्त परिवार प्रधान प्रथा है। परिवार पितृसत्तात्मक पाये जाते है। परिवार में ज्येष्ठ पुत्र का विशेष अधिकार व उत्तरदायित्व होता है। परिवार में मुखिया का स्थान न केवल महत्त्वपूर्ण होता है वरन् उनका निर्णय अन्तिम माना जाता है। मीणा समुदाय में पत्नियों का समाज में सम्मानजनक स्थान होता है। वे पुरूषों के साथ कृषि कार्य में न केवल हाथ बटांती है अपितु पतियों से भी ज्यादा मेहनत करती है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते है। छोटे सदस्य से लेकर बड़ो तक कार्य का विभाजन हुआ रहता है। परिवार के मुखिया के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र का स्थान होता है।[2]

वेश भूषाः–

मीणा समुदाय के पुरूषों की वेश भूषा में कमीज, अंगरखी एवं धोती, पगड़ी प्रमुख है। पुरूषों द्वारा कन्धे पर रूमाल रखने का प्रचलन है। घाघरा, ओढ़नी, आँगी, कब्जा, कुर्ता, लूगड़ी, काँचली, इत्यादि स्त्रियों के प्रमुख परिधान है। परन्तु शिक्षा क्षेत्र के प्रभाव से इनकी वेश भूषा में काफी बदलाव आया है। घाघरा के स्थान पर सलवार कुर्ता एवं जींस व साड़ी का प्रचलन बढ़ा है। आभूषण स्त्रियों एवं पुरुषों दोनों में सामान्य रूप से प्रचलित आभूषणों में कानों में सोनें की मुर्कियां फूल–पत्ती, बलेवडा, कमर में कणकती, हाथों में चांदी के कड़े और दायें पैर में कडा धारण करते है, इसे 'छलकड़' कहा जाता है। मीणा समुदाय में आभूषण सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का प्रतीक माने जाते है। स्त्रियों के आभूश णों में बोरला, शीश फूल, नथ, बाँटा, ओंगनिया, मुरकी, झुमका, हंसली, तिमणियाँ, मोगरा, पंचमनिया, गिलसरी, कण्ठी, गुलीबंद, खुंगाली, खंगवाळी, पूंजी, नेवरी, बंगली, हथफूल, कणकती, टंकणा, बिछिया प्रमुख है।[3]

खानपान

मीणा जनजाति में मासांहार व शाकाहार दोनों ही वर्ग पाये जाते है। काश्तकार मीणाओं में मांसाहार को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इनके भोजन में दूध–दही, गेहूँ, ज्वार प्रमुख है मद्यपान की प्रवृति काश्तकार मीणाओं में अन्य वर्ग की तुलना में कम देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत मीणा समुदाय में आज भी भोजन चुल्हे पर ही पकाकर खाया जाता है जबकी शहरी मीणा समुदाय का परिवार चुल्हे के साथ–साथ, गैस स्टोव का प्रयोग भी भोजन पकाने के लिए करने लगे है।

विवाहादि संस्कार

मीणा जनजाति में हिन्दुओं के समान ही विवाह संस्कार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। विवाह पुरोहित द्वारा ही सम्पन्न कराया जाता है। अधिकतर मीणा समुदाय अपने ही समाज में विवाह करते है। विवाह माता–पिता द्वारा तय किया जाता है। तत्पश्चात सगाई की रस्म की जाती है जिसे 'टीका' कहा जाता है। अन्य रस्में हिन्दुओं के विवाह की तरह ही सम्पन्न होती है। मीणा समाज में 'नाता प्रथा' भी पाई जाती है, परित्यक्ताओं या विधवाओं द्वारा दूसरा विवाह 'नाते' के रूप में किया जाता है, पति की मृत्यु के पश्चात अधिकतर पति के छोटे भाई से स्त्री का विवाह कर दिया जाता है मीणा समुदाय में विवाहादि संस्कार में कुछ कुरीतियां भी पाई जाती है जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि। बाल विवाह इस समुदाय की मुख्य कुरीति है, आर्थिक व सामाजिक कारणों से छोटी उम्र मे शादियाँ कर दी जाती है। कई बार तो गोद में खेलने वाले बच्चे, बच्चियों को वैवाहिक बंधन में बाँध दिया जाता है इससे आगे कई प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है यथा– अपरिपक्व मातृत्व एवं कम उम्र की विधवाओं की संख्या में वृद्धि। हालांकि षिक्षा के प्रचार–प्रसार के कारण अब यह कुरीति बहुत कम देखने को मिलती है।

अतिथि सत्कार

मीणा जनजाति में भारतीय संस्कृति की 'अतिथि देवो भव' उक्ति की भावना परिलक्षित होती है। अतिथि को 'पाहुणा' के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। अपरिचित मेहमानों को भी इस जाति में बहुत सम्मान दिया जाता है। घर आये 'पाहुणा' को भोजन कराये बिना घर से विदा नहीं किया जाता है तथा घर रूकने का आग्रह भी किया जाता है।

मनोरंजन

यह मनोरंजन प्रिय जनजाति है। मनोरंजन हेतु इस जनजाति के लोग अनेक प्रकार के क्रिया–कलापों में भाग लेते है यथा– लोकगीत, नृत्य, उत्सव, मेलें आदि। मीणा जनजाति में गाये जाने वाले गीत, ढ़ाचा उत्साहवर्द्धक व धार्मिक होते है। लोक गीतो ने मीणा जनजाति को विषिष्ट पहचान दिलाई है। इन गीतो में नैराष्य का अभाव पाया जाता है। भर्तृहरि जी, नारायणी माता, कैला देवी, नई के नाथ के महादेव जी, बरवाडा की चौथमाता, सवाई माधोपुर के गणेश जी इत्यादि मेलों में भी मीणा जनजाति के गीतों की गूँज सुनाई देती है एवं वहां के वातावरण को उल्लासपूर्ण बना देती है।

पंचायत प्रथा

जातिगत पंचायते भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का आधार एवं अभिन्न अंग रही है। राजस्थान मे कमोवेश आज भी ये जातिगत पंचायत की व्यवस्था विद्यमान है, जो इस समुदाय में भी देखने को मिलती है। मीणा समुदाय में भी सामाजिक विवादों के निपटारे हेतु जातिगत पंचायत का आयोजन किया जाता रहा है एवं जाति के पंच–पटेलो की सम्बन्धित विवाद को निपटाने में निर्णायक भूमिका रहती है। पंचायतों द्वारा जाति से बहिष्कार (हुक्का–पानी बंद करना) जाति–भोज, गंगा में स्नान, पंचों की जूतियाँ सिर पर रखना, पंचो को भेंट देना, धूप में खड़ा होना, एक टांग पर खड़ा करना, कबूतरों को अनाज जैसे शारीरिक व आर्थिक दण्ड दिये जाते है। पंचायतों में किये जाने वाले निर्णयों को जाति समाज में मान्यता प्राप्त होती है एवं उनके आदेशों का पालन किया जाता है।[4]

हालांकि बाद में पंचायतो के निष्पक्ष निर्णय को लेकर संशय पैदा होने लगा और माननीय उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप कर जातिगत पंचायतों के किसी भी निर्णय को न मानने का आदेश दे दिया।

भील जनजाति

भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। 'भील' शब्द की उत्पति द्रविड़ भाषा के 'बिलु' शब्द से हुई है जिसका अर्थ है 'कमान'। तीर–कमान में अत्यधिक निपुण होने के कारण इस जनजाति को यह नाम मिला। नाम के सम्बन्ध में डॉ. अशोक . डी. पाटिल का कहना है, "इस शब्द की उत्पत्ति मूलतः उच्चारण सम्बन्धी भेद के कारण संस्कृत के मूल शब्द 'भिद' से हुई है। भिद् का भावार्थ है, बधना, भेदना, वेदना (लक्ष्य को वेदना) आदि"[5] इनका मुख्य निवास स्थान उदयपुर है इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी इनका निवास है।

इस समुदाय के लोग क्रूर स्वभाव के थे, परन्तु इनमें स्वच्छन्द जीवन जीने की लालसा थी। अतः उन्होंने जनजाति के समुह से अपने को अलग कर लिया। ये लोग बहादुर तो होते ही है साथ ही विवेकी भी है। बदलती हुई परिस्थितियों में यह जनजाति अपने रहन–सहन के ढंग में बहुत कम परिवर्तन कर पायी। अन्य जातियों के सम्पर्क के कारण धीरे–धीरे उनकी वंषावली में भी परिवर्तन आने लगे।

भील जनजाति के कुल देवता–टोटम, कुलदेवी–आजमा माता। केलड़ा माता व लोकदेवी–भराडी (वैवाहिक अवसर पर इनका भित्ति चित्र बनाया जाता है) है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस जनजाति को 'वनपुत्र' व टॉएमी ने 'फिलाइट (तीरंदाज) नाम दिया है।

मेवाड़ और मुगल समय मे भील समुदाय को उच्च ओहदे प्राप्त थे, तत्कालीन समय मे भील समुदाय को रावत, भौमिया और जागीरदार कहा जाता था। राणा पूंजा भील और महाराणा प्रताप की आपसी युद्ध मे राणा और उनकी भील सेना का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। इसी कारण मेवाड़ राजचिन्ह मे एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ राणा पूंजा भील अर्थात राजपूत और भील का प्रतीक चिन्ह अस्तित्व मे आया।

पौराणिक कथा

पूराणो के अनुसार भील जनजाति की उत्पति भगवान षिव के पुत्र निषाद द्वारा मानी जाती है। कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव ध्यान मुद्रा मे बैठे हुऐ थे, निषाद ने अपने पिता शिव के प्रिय बैल नंदी को मार दिया था। तब दण्ड स्वरूप भगवान शिव ने उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में निर्वासित कर दिया था, वहॉ उनके वंशज भील कहलाऐ।

रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि भील पुत्र थे। तथा उनका मूल नाम वालिया था।

रामायण महाकाव्य मे ही शबरी नामक महिला का वर्णन मिलता है। जिसने श्रीराम को वनवास के दौरान जूठे बेर खिलाये थे, उस शबरी का सम्बन्ध भी भील जनजाति से ही था। इस जनजाति की कर्तव्यनिष्ठा, प्रेम और निश्छल व्यवहार के उदाहरण प्रसिद्ध है। महाभारत महाकाव्य में वर्णित गुरूभक्त एकलव्य भील जनजाति से थे।

भील जनजाति से जुड़े कुछ शब्दः

निवास स्थान

- पाल – भील जनजाति के बड़े गॉव।
- फला – भील जनजाति के छोटे गॉव।
- भोमट – भील बाहुल्य क्षेत्र।
- कू/टापरा/चीरा–बावसी – भीलों के घर।
- डागला – भीलो के मचाननुमा छपरा, जिसके ऊपर अनाज या चारा सुखाते है।
- ढ़ालिया – भीलों के घरों के बाहर का बरामदा।

भील जनजाति से सम्मानित व्यक्तिः

- अटक –किसी एक ही पूर्वज से उत्पन्न गोत्र।
- गमेती – भीलो के गॉव का मुखिया।
- पालवी – ऊँची पहाडी पर रहने वाला भील।
- वागड़ी – मैदान में रहने वाला भील।
- बोलावा – मार्गदर्षन करने वाला व्यक्ति।
- भोपा – भील जनजाति में झाड़–फूंक करवाने वाला।
- भगत – धार्मिक संस्कार सम्पन्न करवाने वाला।
- पाखरिया – जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है, पाखरिया कहलाता है।
- टोटम – भील के कुल देवता को टोटम कहा जाता है।
- भराड़ी – भीलों की कुल देवी।

भील जनजाति की वेश –भूषाः

- ढापा – इस प्रथा के अनुसार विवाह के समय लड़के के पिता द्वारा लड़की के पिता को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है।
- गोल गोधेड़ी प्रथा – इस प्रथा के अनुसार यदि कोई भील युवक अपने शौर्य और साहस को प्रमाणित कर विजय प्राप्त करता है तो उसे शादी हेतु किसी भी युवती को चुनने का अधिकार होता है।
- कायटा/कट्टा/लोकाई – मृत्युभोज की प्रथा।
- गोदना प्रथा – भील स्त्री–पुरूश शरीर को अलंकृत करने के लिए गुदना का प्रयोग करते है।
- हाथीवेडो – विवाह की प्रथा, जिसमें वर तथा वधू द्वारा बांस, पीपल था सागवान वृक्ष के समक्ष फेरे लिए जाते है।
- केसरियानाथ पर चढ़ी हुई केसर – भील केसरियानाथ के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोल सकता।
- फाइरे–फाइरे – भील जनजाति का प्रमुख रणघोश ।
- मौताणा –उदयपुर संभाग मे प्रचलित प्रथा है, जिसके अन्तर्गत खून–खराबे पर जुर्माना वसूला जाता है।
- वढौतरा – मौताणा प्रथा से वसूली गई राषि।
- छेडा–फाडना – पति द्वारा पत्नी की ओढनी का पल्लू फाड़कर तलाक देना।
- डाम देना – बीमार व्यक्ति का गरम धातु से दागकर इलाज करना।

विवाह संस्कार

- हरण विवाह – लड़की का भगाकर किया जाने वाला विवाह।
- परीक्षा विवाह – इस विवाह में पुरूश को अपने साहस का प्रदर्षन करना होता है।
- क्रय विवाह (दापा) – वर द्वारा वधू का मूल्य चुकाकर किया जाने वाला विवाह।
- सेवा विवाह – शादी के पूर्व लड़के को अपने भावी सास–ससुर की सेवा करनी पड़ती है।
- हठ विवाह – लड़के द्वारा लड़की द्वारा भगाकर किया जाने वाला विवाह।

त्योंहार व उत्सव

- होली – भील जनजाति का सबसे महत्त्वपूर्ण त्योंहार होली है।
- गल – होली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला यह पर्व मनौतियां का त्योंहार है। मनोकामना पूर्ण होने पर गल के खंभे पर झूलकर तीन, पांच या सात परिक्रमा करते है।
- गढ़ – होली के पश्चात् एकादषी को इस पर्व का आयोजन किया जाता है। इसमें भील युवकों के शौर्य प्रदर्षन और मनोरंजन का एक आयोजन होता है।
- दिवासा – यह जून माह में मनाया जाता है। इस दिन भीलों द्वारा सामूहिक रूप से विभिन्न देवी–देवताओं की पूजा की जाती है,बलि देना तथा मद्य का तर्पण किया जाता है।
- भगोरिया – यह पर्व विवाह योग्य जोड़ों को मिलाने हेतु आयोजन किया जाता है।मेले
- बैणेष्वर मेला (डूंगरपुर) – यह मेला माघ पूर्णिमा को सोम–माही जाखम नदियों के संगम पर भरता है।
- घोटिया अम्बा का मेला (बांसवाडा) – यह मेला चैत्र अमावस्या को भरता है इसे 'भीलों का कुम्भ' भी कहा जाता है।
- लोकगीत, लोकनाटय व लोकनृत्य
- संवटिया – भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत।

- हमसीढ़ी – भील स्त्री–पुरूश द्वारा युगल रूप में गाया जाने वाला लोकगीत।
- गवरी या राई नृत्य – रक्षा बंधन के तीसरे दिन से सवा महीने तक किया जाने वाला लोकनाट्य।
- गवरी/राई नृत्य – उदयपुर संभाग में सावन–भादो में आयोजित किया जाने वाला यह मुखौटा प्रधान धार्मिक नृत्य है जो केवल पुरूषों द्वारा किया जाता है मांदल व थाली बजाने के कारण इसे राई नृत्य कहते है।
- नाहर नृत्य – होली पर पुरूषों द्वारा कपास शरीर पर चिपकाकर नाहर भेश धारण कर यह नृत्य किया जाता है।
- गैर नृत्य – फाल्गुन मास में होली पर स्त्री–पुरूषों द्वारा कटाई के अवसर पर ढोल, मांदल, थाली के साथ किया जाने वाला नृत्य।
- द्विचकी नृत्य –विवाह के अवसर पर पुरूषों–महिलाओं द्वारा वृताकार में किया जाने वाला नृत्य।
- घूमर – बांसवाड़ा प्रतापगढ़ व डंूगरपुर में महिलाओं द्वारा सभी अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य।
- नेजा नृत्य – खेल नृत्य, होली के तीसरे दिन से स्त्री पुरूषों द्वारा खम्भें पर नारियल बांधकर किया जाने वाला नृत्य।
- हाथीमना नृत्य – विवाह के अवसर पर पुरूषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य।

गरासिया जनजाति

राजस्थान की मीणा एवं भील जनजाति के बाद तीसरी सबसे बड़ी गरासिया जनजाति है। ये लोग मुख्य रूप से उदयपुर जिले के आमेर क्षेत्र खेरवाडा तथा पंचायत समिति, कोटडा, फलासिया, गोगुन्दा एवं सिरोही जिले के पिण्डवाडा तथा आबुरोड तथा पाली जिले के बाली क्षेत्र मे बसे हुऐ है। ये गोगुन्दा (देवला) को अपनी उत्पति मानते है, परन्तु आर्थिक कारणों से ये लोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, तथा कोटा जिले में जाकर बस गये है। मीणों के समान गरासिया भी स्वंय को राजपूत वंश का मानते है। लोककथाओं के अनुसार गरासिया जनजाति के लोग यह मानते है कि ये पूर्व में अयोध्या के निवासी थे और भगवान रामचन्द्र के वंशज थे। उनके पूर्वज वहां से बैराठ (जयपुर) चले गये और यहां पर शासन किया, जहां उनके गरासिया राजा कोठोर की किसी मुगल बादशाह के हाथों मृत्यु हो गई। ये लोग मानते है कि उनकी गोत्रे बापा रावल की संतानों से उत्पन्न हुई है। इनमे डामोर, चौहान, बादिया, राईदरा एवं हीरावत आदि गोत्र होते है। ये गोत्र भील और मीणा जाति मे भी पाये जाते है।

इस जनजाति के लोग मोर को आदर्श पक्षी मानते है तथा सफेद रंग के पशुओं को पवित्र माना जाता है। इस जनजाति में आखातीज को नये वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस जनजाति के मुखिया को सहलोत कहा जाता है। इनका लोक देवता घोडा बावसी है।

यह जनजाति दो भागों में विभाजित है–

- भील गरासिया – जब कोई गरासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह करता है तो वह भील गरासिया कहलाता हैं।
- गमेती गरासिया – जब कोई भील, गरासिया स्त्री से विवाह करता है तो वह गमेती गरासिया कहलाता है।

इन जनजाति के तीन उपवर्ग होते है– मोटी नियात, नेनकी नियात व निचली नियात। रहन–सहन तथा वेश –भूषा की दृष्टि से गरासिया जनजाति की अपनी पहचान है गरासिया स्त्रियां रंगीन घाघरा पहनती है। वे अपने तन–बदन को पूर्ण रूप से ढक लेती है तथा चाँदी,पीतल व एल्युमिनियम के असंख्य गहने पहनती है। ये सभी जाति विवाह को स्वीकार करते है। वर पक्ष को दापा देना पड़ता है इस जनजाति को बहु विवाह प्रथा का भी प्रचलन है। गमेती अनमेल विवाह, अपनी उम्र से बहुत कम उम्र की लड़की से विवाह करते है।

गरासिया जनजाति से जुड़े कुछ शब्द

निवास स्थान

- घेर – गरासियों का घर।
- फालिया – गरासियों के गांव।
- सोहरी – अनाज संग्रहित करने की कोठियां।
- घेण्टी – घरों में प्रयुक्त होने वाली हाथ चक्की।
- हरी भावरी – गरासिया जनजाति द्वारा सामुहिक रूप से की जाने वाली कृषि।
- हेलरू – गरासिया जनजाति के लिए विकास कार्य करने वाली सहकारी संस्था।
- हुरे/मोरी – मृतक व्यक्ति के स्मारक को कहा जाता है।

विवाह प्रथाएं

- मोर बॉधिया – विशेष प्रकार का विवाह, जिसमे हिन्दुओं की भांति फेरे लिए जाते है।
- पहरावणा विवाह – इसमें नाम मात्र के फेरे होते है। इस विवाह में ब्राह्मण की आवश्यकता नही होती।
- ताणना विवाह – इसमें न सगाई की जाती है, न फेरे। इस विवाह मे वर पक्ष वाले कन्या–पक्ष वालों मेलबो विवाह – खर्च से बचने के लिए इस विवाह मे दुल्हन को दूल्हे के घर पर छोड़ दिया जाता है।
- खेवणा/नाता विवाह – इसमें विवाहित महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगती है।
- सेवा – यह घर जवाई की प्रथा होती है।

विशेष प्रथाएं

- इन जनजाति में कुवांरी लड़किया लाख की चूड़िया तथा विवाहित स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती है।
- गोदना प्रथा – भीलो की तरह इनमें भी गोदना गुदवाने की परम्परा है। महिलाऐं प्रायः ललाट व ठोड़ी पर गोदने गुदवाती है। चेहरे पर गुदवाना–'माण्डलिया' हाथ–पैर पर गुदवाना 'माण्डला' कहलाता है।
- कांधिया – गरासिया जनजाति में प्रचलित मृत्युभोज की प्रथा
- मौताणा – उदयपुर संभाग में प्रचलित प्रूथा, जिसके अन्तर्गत खून–खराबे पर जुर्माना वसूला जाता है।
- बढौतरा – मौताणा प्रथा में वसूली गई राषि।
- इस जनजाति का पवित्र स्थान नक्की झील है जहां पर यह जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करती है।

प्रमुख मेले

- इनके प्रतिवर्ष कई स्थानीय व संभागीय मेलेे भरते है। गरासियों का प्रमुख मेला 'गौर का मेला' या 'अन्जारी का मेला' है जो सिरोही जिले के वैषाख पूर्णिमा को लगता है। इनके बडे मेले 'मनखारों मेलो' कहलाते है। गुजरात के चोपानी क्षेत्र का 'मनखारों मेलो' प्रसिद्ध है। युवाओं के लिए इन मेलों का बड़ा महत्त्व है। गरासिया युवक मेलों में अपने जीवन साथी का चयन भी करते है। इसके अलावा इनके प्रमुख मेले है–
- कोटेश्वर मेला
- चेतर विचेतर मेला
- गौगुन्दा या गणगौर मेला

प्रमुख नृत्य

- वालर–यह नृत्य गणगौर के दिनों में महिला–पुरूषों दोनों द्वारा प्रदर्षित किया जाता है। इस नृत्य का प्रारम्भ पुरूषों द्वारा हाथ मे तलवार/छाता लेकर, वाद्ययन्त्र के बिना, धीमी गति से किया जाता है।
- गरबा–गुजरात का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। बांसवाड़ा–डूंगरपुर क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा तीन भागों मे किया जाता है–शक्ति की आराधना व अर्चना, राधाकृष्ण का प्रेम चित्रण, लोक–जीवन के सौन्दर्य की प्रस्तुति।
- गैर–फाल्गुन मास में होली पर स्त्री–पुरूषों द्वारा फसल की कटाई के अवसर पर ढोल, मांदल, थाली वाला नृत्य।
- यह नृत्य महिला–पुरूषों द्वारा बिना किसी वाद्य से किया जाता है। इसमें एक युवती अपने प्रेमी के साथ भाग जाने का उद्यत रहती है। वह अपने प्रेमी संग भाग जाने के करतब दिखाती है।
- लूर–महिलाओं द्वारा शादी व मेलेे के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है।
- मोरिया–विवाह के अवसर पर पुरूषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य।
- गौर नृत्य–गणगौर के अवसर पर स्त्री–पुरूषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य।

सहरिया जनजाति

सहरिया शब्द की उत्पत्ति 'सहर' से हुई है जिसका अर्थ जंगल होता है। यह राजस्थान राज्य की एक मात्र आदिम जाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है यह बांरा जिले की किश नगढ़ एवं शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। उक्त दोनों ही तहसीलों के क्षेत्रों को सहरिया क्षेत्र में सम्मलित कर सहरिया वर्ग कि विकास समिति का गठन किया गया है। क्षेत्र की कुल जनसंख्या 3 लाख है जिसमंे से सहरिया क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.10 लाख के लगभग है।

सहरिया जनजाति में पचास गोत्र है। इनमें चौहान और डोडिया गोत्र राजपूत गोत्र से मिलते है। ये समूह स्वयं के राजपूत की भ्रष्ट संतान मानते है।

अन्य समाजों में जो स्थान मुखिया या पटेल का होता है। वही स्थान सहरिया समाज में कोतवाल का होता है। सहरिया जनजाति के कुल देवता तेजाजी, कुलदेवी–कोडिया देवी व इष्ट गुरू–ऋषि वाल्मीकि है।

सहरिया जनजाति से जुड़े कुछ शब्द

- सहराना–सहरिया जनजाति की बस्ती।
- सहरोल–इस जनजाति के गांव।
- हथाई या बंगला–सहरिया समाज की सामुदायिक सम्पत्ति के रूप में सहराना के बीच एक छतरीनुमा गोल या चौकोर झोपड़ी या ढालिया बनाया जाता है। जिसमें पंचायत आदि का अयोजन किया जाता है।
- टापरी–इनके मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और घासफूस के बने घर।
- थोक–एक गांव के लोगों के घरों के समूह।
- टोपा (गोपना, कोरूआ) –घने जंगल में पेड़ों या बल्लियों पर बनाई गई मचाननुमा झोपड़ी।
- कुसिला–अनाज संग्रह हेतु मिट्टी से बनाई गई छोटी कोठियां।
- भंडेरी–आटा संग्रह करने का पात्र।

वेश–भूषा

- सलका–सहरिया पुरूषों की अंगरखी।
- खफ्टा–सहरिया पुरूषों का साफा।
- पंछा–सहरिया पुरूषों की धोती।
- रेजा–विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र।

प्रमुख प्रथाएं

- सहरिया जनजाति में भीख मांगना वर्जित है।
- सहरिया जनजाति मे लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है।
- इस जनजाति के लोग महुआ के फल से बनाई गई शराब पीते है।
- इस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदना वर्जित है।

चौरासिया पंचायत– यह सहरियों की सबसे बड़ी पंचायत है जिसका आयोजन सीताबाडी के वाल्मीकि मन्दिर में किया जाता है।

धारी संस्कार– मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियों व राख को एकत्र कर रात्री में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते है। तथा दूसरे दिन उसमें बनने वाली आकृति के पदचिन्ह को देखते है। आकृति देखने के बाद में प्रवाहित कर दिया जाता है।

लोक गीत व लोकनृत्य

- फाग या राई नृत्य–होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य।
- हिन्डा–दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत।
- लहंगी एवं आल्हा–वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत।
- शिकारी नृत्य–यह बांरा जिले का प्रसिद्ध लोक–नृत्य है। यह एकल व्यक्ति नृत्य है।
- झेला–आषाढ़ माह में फसल की पकाई के समय युगल रूप में झेला गीत गाकर यह नृत्य किया जाता है।
- इनरपटी–यह नृत्य पुरुष अपने मुंह पर भांति–भांति मुखौटे लगाकर करते है।
- सांग–स्त्री पुरूषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य।
- लैंगी–मकर संक्रान्ति पर लकडी के डंडो से खेला जाने वाला खेल।

मेले

- सीताबाडी का मेंला (बांरा) –यह मेला बांरा जिले के सीताबाडी नामक स्थान पर बैसाख अमावस्या को भरता है। हाडौती आंचल का यह सबसे बड़ा मेला है। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते है।
- कपिलधारा का मेला–यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को अयोजित होता है।
- भंवरगढ़ का मेला–तेजाजी की स्मृति में लगने वाला मेला।

डामोर जनजाति

यह जनजाति डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति के दक्षिण–पश्चिमी केन्द्र (गुदावाडा–डूंका आदि गांवों में) केन्द्रित है। बाँसवाड़ा एवं उदयपुर जिले में भी इस जनजाति के लोग रहते है। परमार गोत्र की डामोर जनजाति के लोगों का यह मानना है कि उनकी उत्पत्ति राजपूत राजा के वंश से हुई है जबकि सिसोदिया गोत्र के डामोर अपने को चित्तोड़ राज्य के सिसौदिया वंश के मानते है। राठौड़, चौहान, सोलंकी, मालीवाडा तथा बावरिया आदि गोत्र के डामोर अपने को उच्च वर्ग का मानते है। गुजरात के चौहान एवं परमार वंश का सरदार पारिवारिक कलह से तंग आकर राजस्थान में बस गये और धीरे–धीरे उन्होने स्थानीय डामोर से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिए। ये लोग कालांतर मं निम्न वर्ग के डामोर कहलाऐं। गुजरात में भी भारी संख्या में अनेक गोत्रों के डामोर रहते है। एक किदंवंती के अनुसार, डोम जाति के घर का पानी पी लेने वाले राजपूत वंश ज मूलतयाः डामोर जनजाति में गिने गये।

भीलो की अपेक्षा डामोर अपने तन की शुद्धता का विषेश महत्त्व रखते है। इनके अन्य संस्कार व रीति–रिवाज सामाजिक व्यवस्था मीणा व भील जनजाति से काफी मिलते जुलते है। इनकी भाषा व रहन–सहन में गुजरात का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। ये सब खूबियाँ मिला–जुलाकर डामोर जनजाति को एक अलग पहचान देने में सफल रही है। इस जनजाति को एक अलग पहचान देने में सफल रही है।

इस जनजाति के लोग एकल–परिवादवादी होते है। शादी होते ही कि लडके को मूल परिवार से अलग कर दिया जाता है। इस जनजाति को "डामरिया" अन्य नाम से जाना जाता है। इस जनजाति के मुखिया को 'मुखी' कहते है।

प्रमुख प्रथाएँ: –

- बहुविवाह प्रथा– डामोर जनजाति के बहुविवाह प्रथा प्रचलित है अर्थात इस जनजाति के पुरूश एक से अधिक विवाह कर सकते है।
- दापा प्रथा इस जनजाति मे विवाह का मुख्य आधार वधू मूल्य ही होता है। वर पक्ष को कन्या के पिता को वधू मूल्य चुकाना पड़ता है।
- चाडिया– होली के अवसर पर आयोजित मनांरंजन कार्यक्रम ।
- मौताणा– खून–खराबे पर जुर्माना प्रथा।

- बढोतरा– मौताणा प्रथा में वसूली गई राषि।
- प्रमुख मेले
- छैला बाबजी या झेला बावजी का मेला – छैला बावजी का मेला गुजरात राज्य के पंचमहल स्थान पर भरता है।
- ग्यारस की रेवाडी का मेला– यह मेला प्रतिवर्ष अगस्त–सितम्बर माह में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भरता है।

निष्कर्ष : –

राजस्थान की ये पाँच जनजातियाँ अपने सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के विषिष्ट पहलुओं पर प्रकाश डालती है। इनमें प्रत्येक जनजाति समूह खुद को राजपूत वंश से जोड़ते है। इनकी बहादुरी तथा लड़ाकुपन भी राजपूतों से काफी मिलती–जुलती है। इनकी खान–पान तथा मर्यादा क्षत्रिय समाज से मिलता है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है। कि इन सबका मीणा, भील, गरासिया, सहरिया तथा डामोर की उत्पत्ति एक ही वंश से हुई होगी। साथ ही इनके मूल्यों पर हिन्दू प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाता है।

सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवहारिक रूप से अन्य वर्गों से निम्न स्तर प्राप्त है। सामान्य वर्ग और अन्य पिछडापन के लोगों की तुलना में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ के लोगों को सुविधाऐं कम उपलब्ध है। जिसके कारण इस खास वर्ग में आने वाली जातियाँ के लोगों को षिक्षा में आरक्षण प्रावधान का भरपूर लाभ मिल पा रहा है। हमारे यहाँ की शिक्षा पहले धर्म के शिकंजे में थी। अब सत्ता और कॉरपोरेट के लोगों ने हथिया ली है। षिक्षा सुधार हेतु कई आयोग बने लेकिन उनके द्वारा जो भी संशोधन हुऐ वे धूल फांकते नजर आये और इन वर्गो को आरक्षण से लाभान्वित नहीं किया जा सका और इसकी सामाजिक स्थिति ज्यों का त्यों रह गयी है।

सन्दर्भ सूची

[1] 'भारतीय जनजातियाः संरचना एवं विकास–हरिश्चंद्र उप्रेती, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, तृतीय संस्करण– 2007 पृष्ठ –1

[2] मीना यशोदा – मीणा जनजाति का इतिहास–जयपुर पब्लिकेशन हाउस जयपुर 1987

[3] झरवाल लक्ष्मीनारायण– मीणा जनजाति एक परिचय, विषय शोधपूर्ण, जयपुर पब्लिकेशन जयपुर (1975)

[4] मीणा आँचल– मीणा जाति के सामाजिक व राजनैतिक उत्थान पर मीणा संगठनों की भूमिका शोधपत्र, राजस्थान विश्वविद्यालय (2017)

[5] डॉ. अशोक. डी. पाटिल– भील जनजीवन और संस्कृति– मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, प्रथम संस्करण– 1998 पृष्ठ–5